

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)**

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
15/21	212 RTA	खाली	5931

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रामनारायण वर्ग.	बनाम	जगन्नाथी वर्ग.

वकील :- श्री बालकृष्ण शर्मा **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
24/3/21	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 90ए, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/4/2021 को पेश हो।	
20/1/21	अपनी नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 20/5/21 को पेश हो।	
25/7/21	अपनी नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 28/6/21 को पेश हो।	
28/6/21	अपनी नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 3/8/21 को पेश हो।	
19/9/21	COVID-19 के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में आज पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित। प्रतिवादी गणों के बिराता मौलिक समान अभावता पुत्र तलबी हेतु तलबना पत्र भेदा करते तलबी/ तलबना पत्रावली दिनांक 8/11/21 को पेश हो।	

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

आपका पीनवसीन अधिकारी के अन्य कार्य में धिन्कारा  
ब्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
दिनांक ... 25/5/22 ... को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

25/22

पत्रावली पेश हुई। बहुलाए परीकेन उपस्थित। वकील  
प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किया है। समय-माही है  
-आयहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। वरन्ते जवाब  
पत्रावली दिनांक 6/7/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बरौ (राज.)

6/22

पत्रावली पेश हुई। बहुलाए परीकेन उपस्थित।  
वकील प्राथी' द्वारा प्रकरण में NOT PRESS किया  
है प्रकरण में आगे कोई कार्य माही नहीं चाहते  
है। प्रकरण में कार्य बाहो इसी स्तर पर ड्रॉप  
की जाती है। पत्रावली के सल शुभार होकर दाखिल  
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बरौ (राज.)

Not press  
6/22